



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क. 228 / अका. / शोध / अंग्रेजी / 2022

बिलासपुर, दिनांक 20 JUN 2022

प्रति,

(पंजीकृत डाक द्वारा)

Mr. Alekh Kerketta, (शोधार्थी)
अंग्रेजी और विदेशी भाषा विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय:- यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 23.11.2021 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) अंग्रेजी और विदेशी भाषा, विद्यापीठ-कला में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-

| शोध का विषय शीर्षक | शोध निर्देशक | | |
|---|--|-------------|-----------------|
| "Representation of History in the Novels of Kunal Basu" | Dr. Prasenjit Panda, Assistant Professor, Deptt.of English and Foreign Languages, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur,(C.G.) | | |
| शोध केन्द्र | पंजीयन क्रमांक | पंजीयन तिथि | नामांकन क्रमांक |
| अंग्रेजी और विदेशी भाषा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) | 195272504 | 23-11-2021 | GGV/19/0351 |

1. आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छ:माही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/ RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोधग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छ: प्रतियों में शोधग्रन्थ के सार संक्षेप (संमरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10/11/2021
22/11/2022

no. value

2. यह पंजीयन छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छः वर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छः वर्ष उपरान्त स्वतः निरस्त हो जावेगा। शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम -2018 के नियमन R-10 के अधीन रहेगा।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/- (परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोधग्रंथ प्रस्तुत करना होगा। छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोधग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा।
5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम -2018 के अधीन होगा। अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम -2018 के प्रावधानों का भी भली-भांति अध्ययन कर लें।

आदेशानुसार,



सहा. कुलसचिव (अका.)

क्रमांक 229 / अका0 / शोध / अंग्रेजी / 2022

बिलासपुर, दिनांक 20 JUN 2022

प्रतिलिपि:-

1. शोध निर्देशक- Dr. Prasenjit Panda,, Assistant Professor, Deptt.of English and Foreign Languages, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur,(C.G.)को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
2. विभागाध्यक्ष/शोध केन्द्र-अंग्रेजी और विदेशी भाषा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. समन्वयक, आईटी सेल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर वेब पटल पर अपलोड किये गये सूची में शामिल करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित नस्ती प्रति।


सहा. कुलसचिव (अका.)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)